



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश खालियर श्रुखला न्यायालय रीवा 309



10प्र०)



R3.30/-

RS 208 II 16

विद्याका... पाण्ड्य तनय स्व० रामनेवाज राम ब्राह्मण उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम रजडिहा पो० बेलहा तहसील बहरी जिला सीधी (म०प्र०) ————— निगरानीकर्ता

बनाम्

1. नन्दलाल पाण्डेय पुत्र स्व० जगदेव राम ब्राह्मण
2. मुस. रामदेव पत्नी स्व० धुवराम पाण्डेय
3. भूफेन्द्र पाण्डेय तनय स्व० धुवराम पाण्डेय
4. सुखेन्द्र पाण्डेय तनय स्व० धुवराम पाण्डेय
5. जागेन्द्र पाण्डेय तनय स्व० धुवराम पाण्डेय
6. दामोदर प्रसाद पाण्डेय तनय स्व० जगदेव राम ब्राह्मण
7. श्रीमती उर्मिला पाण्डेय पत्नी स्व० राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय उम्र 50 वर्ष
8. आकाश राज पाण्डेय तनय स्व० राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय उम्र 35 वर्ष
9. कमलेश्वर प्रसाद पाण्डेय तनय गोपाल राम ब्राह्मण
10. देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय तनय गोपाल राम ब्राह्मण
11. नागेन्द्र उर्फ नागेश्वर प्रसाद पाण्डेय तनय गोपाल राम ब्राह्मण
12. दिवाकर प्रसाद पाण्डेय तनय हरिहर राम ब्राह्मण
13. राजेश्वरी प्रसाद पाण्डेय तनय हरिहर राम ब्राह्मण
14. रमाकान्त पाण्डेय तनय हरिहर राम ब्राह्मण

सभी निवासी ग्राम रजडिहा पो० बेलहा तहसील बहरी जिला सीधी (म०प्र०)

ग्रीष्मकृष्ण प्रणिताप्र०
द्वारा आज दिनांक 10-5-16 - ३
प्रस्तुत किया गया।

हर
महिला कोटि रीवा

— गैर निगरानीकर्तागण
राजस्व निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय
अपर कलेक्टर जिला सीधी (म०प्र०) द्वारा
प्रकरण क्र० 145/निगरानी/08-09 में
दिनांक 30.03.2016 को पारित

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व
संहिता 1959

मान्यवर ,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य

- (क) यह कि इस प्रकरण में गैर निगरानीकर्ता क्र० 1 ता 6 द्वारा राजस्व निरीक्षक गिर्द सीधी के नामान्तरण प्रकरण क्र० 132/अ-6/1982-83

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुबृति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R5208-II/16

जिला-सीधी

विद्याकांत पाण्डेय/ नन्दलाल पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
०५/४/१९	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री हेमकुमार अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 145/निगरानी/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 30.03.16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र०० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपरित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशवन्न चौधरी), सदस्य</p>	